RN-3810
19/11/2020

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक प. 25(15)आयु./2017 जयपुर, दिनांक– 19 NOV 2020

आदेश

Gen
19/11/20

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.25(15)आयु./2017 दिनांक 13.04.2017 के अतिक्रमण में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत संचालित समस्त चिकित्सालयों/औषधालयों में बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –

क्र. स.	संस्था	अवधि	समय (ओ.पी.डी)	मध्यान्तर
1	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/ चिकित्सालय / औषधालय (ग्रामीण एवं शहरी)	01 अप्रेल से 30 सितम्बर	प्रातः 8.00 बजे से अपरान्हः 3.00 बजे तक, (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक)	दोपहर 12.00 बजे से 01.00 बजे तक
		01 अक्टूबर से 31 मार्च	प्रातः 9.00 बजे से अपरान्हः 4.00 बजे तक, (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक)	
2	आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय	उपर्युक्तानुसार।		
3	विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिसर में संचालित है	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार ।		

नोट – जिन विभागीय चिकित्सा केन्द्रों पर योगाभ्यास कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित होता है, उनका समय प्रातःकाल भी 2 घंटे रखा जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगें।

आज्ञा से,

(आर.पी. चतुर्वेदी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141– 2796625 मेल– DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः सामा./औष.समय परि./2020–21/3424 दिनांकः 19/11/2020

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी राजकीय यूनानी चिकि./औष./उप जिला चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी/जिला अस्पताल को देकर लेख है कि उक्त आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करे।
3. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेबसाईट को देकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक